

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1516, 1517, 1518, 1519 एवं 1520 / 2014 / जयपुर

मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि.,  
30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त,  
राजस्थान-जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,  
श्री अनिल कुमार मण्डोत,  
सुश्री ईशु जैन।  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 30.11.2015

संशोधित निर्णय दिनांक : 03.12.2015

संशोधित आदेश

समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के क्रम में श्री एम.एल.पाटौदी अभिभाषक कम्पनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पारित निर्णय में अभिभाषक/टैक्स रिटेनर के पूरे नाम अंकित नहीं किये गये हैं, जो बहस के दौरान उपस्थित थे। अतः सभी अभिभाषक/टैक्स रिटेनर के नाम अंकित करते हुए निर्णय दिनांक 30.11.2015 को संशोधित करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वस्तुतः श्री अरविन्द बाहेती, टैक्स रिटेनर बहस के दौरान उपस्थित रहे थे, जिनका नाम उक्त निर्णय में अंकित नहीं है। उक्त लिपिकीय त्रुटि है, जिसको निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

उपस्थित : :


श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक कम्पनी  
श्री अरविन्द बाहेती, टैक्स रिटेनर  
श्री अनिल कुमार मण्डोत, वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष-कम्पनी  
सुश्री ईशु जैन, सी.ए.


.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

शेष आदेश पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 में वर्णित अनुसार यथावत रहेगा।  
आदेश जारी किया गया।

  
3.12.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
( बी.के.मीणा )  
अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1516, 1517, 1518, 1519 एवं 1520 / 2014 / जयपुर

मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि.,  
30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त,  
राजस्थान-जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,  
श्री अनिल कुमार मण्डोत,  
सुश्री ईशु जैन।  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2015

आदेश

अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

1. अपीलार्थी कम्पनी (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जायेगा) की ओर से यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 14.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जो क्रमशः अपील संख्या 102, 103, 104, 105 एवं 106 / अ.प्रा-II / आरएसटी / जयपुर 2014-15 के संबंध में हैं तथा जिसमें कम्पनी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(6) 55 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 सपटित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(8)(बी) व 58 के तहत पारित आदेश दिनांक 22.05.2014 व धारा 33 के तहत पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 के तहत पारित तालिकानुसार निर्धारण वर्षों के लिये पारित निर्धारण आदेशों के जरिये कायम मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

लगातार.....2





तालिका

(मांग राशि रु. में)

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	नि.आदेश दिनांक	अंतर कर	अनुवर्ती ब्याज	कुल विवादित राशि
1516	03-04	22.5.14	7,38,14,318 /-	9,36,48,462 /-	16,74,62,780 /-
1517	04-05	22.5.14	10,15,19,014 /-	11,56,71,204 /-	21,71,90,218 /-
1518	05-06	22.5.14	14,35,86,110 /-	14,35,14,837 /-	28,71,00,947 /-
1519	06-07	22.5.14	8,46,40,203 /-	2,13,00,433 /-	105940636 /-
1520	07-08	22.5.14	8,17,40,685 /-	5,05,13,198 /-	13,22,53,883 /-

2. चूंकि पांचों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं । अतः पांचों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि कम्पनी की इकाई मोडक में स्थित है तथा कम्पनी द्वारा द्वितीय इकाई मैसर्स नीर श्री सीमेन्ट लिमिटेड (जिसे आगे द्वितीय इकाई कहा जायेगा) के नाम से मोडक में स्थापित की गयी है। द्वितीय इकाई द्वारा दिनांक 14.01.1994 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया। कम्पनी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु दिनांक 14.02.94 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को पूर्णता का प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.1994 को सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी को करमुक्ति का लाभ "a new very prestigious unit " के आधार पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिनांक 11.11.94 को हुई बैठक में स्वीकृत किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र (ई.सी.) दिनांक 12.01.95 को जारी किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को आरएसटी के तहत 25 प्रतिशत व सीएसटी के तहत 75 प्रतिशत की सीमा तक सीमेंट के विक्रय पर करमुक्ति प्रदान की गयी। यह लाभ 11 वर्षों हेतु प्रदान किया गया। इकाई द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करन पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 21.03.1997 द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत 90 प्रतिशत कर मुक्ति का लाभ अपीलार्थी को प्रदान किया गया। विभाग द्वारा कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 21.03.1997 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में दिनांक 06.05.1997 को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 11.11.94 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने के आदेश दिये गये। राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998, जो दिनांक 07.04.1998 से लागू की गयी थी, के तहत विद्यमान



283

औद्योगिक इकाई के स्थल पर पृथक रूप से दृष्टव्य पूंजी निवेश द्वारा स्थापित नयी औद्योगिक इकाई को भी नयी ईकाई में शामिल माना गया। इस नयी योजना के तहत यह भी विकल्प दिया गया कि वे औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले दिनांक 07.04.98 को पूर्ववर्ती योजनाओं 1987/1989 से संबंधित थे तथा किसी न्यायालय के समक्ष निर्णयार्थ लम्बित थे, को भी प्रार्थना पत्र संबंधित प्रकरण के विवरण सहित एस.एल.एस.सी. को प्रस्तुत किये जा सकते थे तथा नयी योजना राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 के प्रावधानों अनुसार एस.एल.एस.सी. इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों को नयी योजना के प्रावधानान्तर्गत निर्णय करने की अधिकारिता रखती थी। दिनांक 19.06.98 को मैसर्स नीर श्री सीमेंट लि. द्वारा नयी योजना 1998 के प्रावधानान्तर्गत राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03.02.2001 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.98 पर विचार करते हुए अपने निर्णय (एस.एल.एस.सी.) दिनांक 06.05.97 को अतिष्ठित करते हुए एस.एल.एस.सी. के निर्णय दिनांक 11.11.94 को दिनांक 05.04.94 से पुनर्स्थापित (restore) किया गया जिसके अनुसार कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत का लाभ देय होता है। दोनों पक्षों द्वारा इससे संबंधित लम्बित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का आश्वासन दिया गया।

4. दिनांक 22.05.2002 को BIFR(Board for Industrial and Financial Reconstruction) द्वारा कम्पनी को रुग्ण इकाई घोषित किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 10.03.2003 को राज्य सरकार के समक्ष निवेदन किया गया कि मैसर्स गुजरात अम्बुजा लिमिटेड (पूर्व नाम मैसर्स डीएलएफ लि.) को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत दिये गये 75 प्रतिशत लाभ के समान ही अपीलार्थी इकाई को भी 75 प्रतिशत लाभ राजस्थान बिक्री कर अधिनियम व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम दोनों में प्रदान दिया जाये। दिनांक 07.05.2003 को तत्कालीन वित्तमंत्री व उद्योगमंत्री की बैठक में निर्णय लिया गया कि इकाई को आरएसटी/सीएसटी के तहत शेष रही अवधि के लिए 75 प्रतिशत का लाभ मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वाद (मैसर्स बिनानी सीमेंट लि.) में होने वाले निर्णय के अध्याधीन व अन्य शर्तों के अनुसार प्रदान करने का निश्चय किया गया एवम् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(6)एफडी/टैक्स-डिव./2003-पीटी-47 दिनांक 29.05.2003 जारी की गयी।

283

लगातार.....4

5. बीआईएफआर द्वारा दिनांक 18.01.2005 को कंपनी के लिए एक पुनर्वास योजना जारी की गयी जिसमें राजस्थान सरकार से अन्य लाभों के अतिरिक्त निम्न लाभ देने की अनुशंसा की गयी:-

----- “ To consider extending sales tax incentive @ 75% both in Rajasthan sales Tax (RST) and Central Sales Tax (CST) for a further period of 3 years effective from 1<sup>st</sup> April, 2005 to both the units of the Company. The overall benefits available to the company shall not exceed the eligible fixed capital investment under the Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989 provided that the aforesaid eligible fixed capital investment shall be varied to such amount as may be determined by State Level Screening Committee (SLSC) and or as per the provisions of Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989.”

6. इकाई द्वारा दिनांक 18.02.2005 को BIFR के आदेश दिनांक 18.01.2005 के क्रम में प्रोत्साहन योजना के लाभ की कालावधि बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 20.04.2005 को BIDI की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:-

“BIDI accorded ex post facto approval to the notification issued by the Finance Department granting a further period of 2 years to the 75% exemption in RST and CST granted to the company earlier. The BIDI noted that the notification was dated 14.04.05 and applicable with prospective effect and directed the Finance Department to bridge the gap of 15 days, if necessary and legally possible”

7. उक्त के क्रम में अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (69) एफडी/ टैक्स-डिवीजन/2002-05 दिनांक 15.4.2005 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 47 दिनांक 29.05.2003 के कलॉज (I) में संशोधन कर इकाई के लिये लाभ की अवधि दिनांक 04.04.2007 तक बढ़ाई गयी। तत्पश्चात्, (BIFR) ने प्रस्तुत तथ्यात्मक आधारों पर दिनांक 24.05.2007 को यह अवधारित किया कि कम्पनी मैसर्स नीर श्री सीमेन्ट की वास्तविक परिसम्पतियां (NETWORTH) दिनांक 31.03.2007 को धनात्मक हो गयी है और उसके संचयी नुकसान समाप्त (नगण्य) हो चुके हैं तथा कम्पनी रुग्ण (SICK) श्रेणी की नहीं रहती है तदनुरूप इकाई को SICA की धारा 3(1)(O) के तहत रुग्ण (SICK) इकाई की श्रेणी से बाहर निकालने का निर्णय दिनांक 24.05.2007 को लिया गया। बीआईएफआर ने अपनी कार्यवाही दिनांक 24.05.2007 में उनके समक्ष कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.05.2005 के संदर्भ में कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.05.03 तथा दिनांक 28.07.06 के द्वारा



282

लगातार.....5

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित छूट प्रदान की जा चुकी है। लेकिन अधिसूचना दिनांक 29.05.03 के पैरा संख्या 7 में कम्पनी के मामले को मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वाद के निर्णय के अध्याधीन उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा छूट दी गयी है जिसके कारण कम्पनी को अभी तक छूट अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

8. (BIFR) की बैठक दिनांक 24.05.2007 व उक्त को लिये गये निर्णय के आलोक में, निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि चूंकि इकाई 31.03.2007 को ही रुग्णता से बाहर आ चुकी थी तथा SICA Act की धारा 3(i) (o) के तहत रुग्ण इकाई नहीं रही थी अतः इस संबंध में BIFR के निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं।

9. इसी क्रम में कम्पनी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा निम्न चार प्रकार से कर मुक्ति का लाभ प्राप्त किया जा रहा है :-

1. 25% RST 75% CST From 05.04.94 to 31.03.97 (as per SLSC decision)
2. 90% RST 90% CST from 01.04.97 to 02.02.2001 ( as per RTB decision dated 21.3.97)
3. 25% RST 75% CST from 03.02.2001 to 28.05.2003 ( as per SLSC decision)
4. 75% RST 75% CST as per BIDI decision dated 02.05.2003 and 07.05.2003.

जिसमें बिन्दु संख्या 1, 3 एवं 4 में कोई विवाद नहीं है, परन्तु बिन्दु संख्या 2 पर कम्पनी द्वारा लिये गये लाभ को कर बोर्ड अजमेर द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में नियमित करने की प्रार्थना की गई। राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 18.5.2004 में उक्त आवेदन पर निर्णय लेते हुए इकाई को कालावधि दिनांक 1.4.1997 से 2.2.2001 तक के लिए Very Prestigious मानते हुए 90 प्रतिशत लाभ स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 18.5.2004 के अनुसार इकाई को निम्न प्रकार लाभ प्राप्त है:-

1. 25% RST 75% CST From 05.04.94 to 31.03.97 (as per SLSC decision)
2. 90% RST 90% CST from 01.04.97 to 02.02.2001 ( as per RTB decision dated 21.3.97)
3. 25% RST 75% CST from 03.02.2001 to 28.05.2003 ( as per SLSC decision)
4. 75% RST 75% CST as per BIDI decision dated 02.05.2003 and 07.05.2003.

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2014 में मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. 25 प्रतिशत ही लाभ लेने की पात्र इकाई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.05.2003 की शर्त संख्या (7) के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 24(6), 55 एवं वैट अधिनियम के नियम 35 सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 29(8) व 58 एवं सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत नोटिसेज जारी किये गये।



- 2572

लगातार.....6

11. जारी किये गये नोटिसेज की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्तियां उठायी गयी व जवाब प्रस्तुत किये गये। जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किये गये कि कम्पनी को दिनांक 29.5.2003 की अधिसूचना के तहत सशर्त कर मुक्ति लाभ दिया गया था तथा कम्पनी ने उक्त अधिसूचना के तहत लाभ का उपभोग किया है। कम्पनी को लाभ के उपभोग करते समय यह पूर्ण परिज्ञान में था कि उसके द्वारा लिया जा रहा लाभ मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लि. के विचाराधीन प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन है, कम्पनी का रुग्ण होना एक पृथक घटना है। अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 व्यवहारी को माननीय BIFR द्वारा जारी पुर्नवास योजना से पूर्व की है जिसमें स्पष्ट है कि यह अधिसूचना ईकाई को माननीय BIFR के आदेशों/योजना के क्रम में नहीं दी गई है, ईकाई दिनांक 31.3.2007 को SICA ACT की धारा 3(1)(o) के तहत रुग्णता (SICKNESS) से बाहर आ गई थी तथा दिनांक 24.5.2007 को माननीय BIFR द्वारा दिया गया निर्देश बाध्यकारी नहीं है तथा यह भी कि SICA की धारा 32 के अधीन भी बाध्यकारी नहीं है, यह कि ईकाई द्वारा 1989 की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ हेतु माननीय SLSC के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। अन्तिम रूप से SLSC द्वारा निम्न लाभ दिया गया है:-

1. 25% RST 75% CST From 05.04.94 to 31.03.97 (as per SLSC decision)
2. 90% RST 90% CST from 01.04.97 to 02.02.2001 ( as per RTB decision dated 21.3.97)
3. 25% RST 75% CST from 03.02.2001 to 28.05.2003 ( as per SLSC decision)
4. 75% RST 75% CST as per BIDI decision dated 02.05.2003 and 07.05.2003. जो कि ईकाई लाभ प्राप्त करने की पात्र है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2014 की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2007-08 में अधिक उपभोग किये गये बिक्री कर मुक्ति लाभ के क्रम में उक्तानुसार अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध कम्पनी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को जरिये संयुक्तादेश दिनांक 14.08.2014 के अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

12. कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण ने निम्न प्रारम्भिक आपत्तियां उठाते हुये निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन किया।

1. निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में अधिनियम व विक्रय कर अधिनियम के तहत जारी नोटिसेज क्षेत्राधिकार विहित है क्योंकि उक्त केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित निर्णय मैसर्स बिनानी सिमेन्ट दिनांक 19.02.2014 के आलोक में जारी किये गये हैं।





लगातार.....7

2. कथन किया कि मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड के प्रकरण बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989 के क्लॉज 1(ई) के अधीन है जबकि कम्पनी की ईकाई रूग्ण (SICK) ईकाई थी अतः मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड के निर्णय के कारण कम्पनी को जारी किये गये नोटिसेज विधिसम्मत नहीं है।

कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा यह भी आपत्ति उठायी गयी कि ईकाई द्वारा उपभोग किया गया कर मुक्ति का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि व्यवहारी ईकाई को अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 के तहत सशर्त कर मुक्ति का लाभ दिया गया था। कथन किया कि कम्पनी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.05.2003 के आलोक में ही कर एकत्रित किया है व विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 एव संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत वह अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 से अधिक कर वसूल नहीं कर सकता था। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 265 (265. Taxes Not to be Imposed save by authority of law- no tax shall be levied or collected except by authority of law. ) कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के आधार पर ही प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

13. कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन किया कि कम्पनी ईकाई द्वारा उपभोग किया गया कर मुक्ति का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। इस संबंध में जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत लाभ को उससे संशोधित कराये बिना, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी मर्जी से स्वीकृत लाभ को वापस लेना पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को इस तरह की अधिकारिता नहीं है, जैसा कि इस संबंध में माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि औद्योगिक इकाईयों को "प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत स्वीकृत लाभ को संशोधित करने की अधिकारिता केवल जिला /राज्य स्तरीय छानबीन समितियों को ही है। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप औद्योगिक इकाईयों को दिये गये वचन (Promise) को भूतलक्षी प्रभाव से कम करना, माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में अनुचित एवम् अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित किया।

- 1- **The Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan and another Vs. Kandhari & Kandhari Pvt. Ltd. and another reported in 113 STC Page 361(R.T.T.) :**
- 2- **Kitchen Aid Vs. State of M. P. and others 110 STC Page 109 (M. P. High Court)**
- 3 **Commissioner of Commercial Taxes Vs. West Bengal Taxation Tribunal, reported in 131 STC Page 290 (Calcutta High Court) :**

✓

26/11

लगातार.....8



- 4- **Vadilal Chemicals Ltd. Vs. State of Andhra Pradesh and others, reported in 142 STC page 76 (SC) :**
- 5- **Commissioner of Sales Tax Vs. Solar Primer P. Ltd. SLP (Civil No. 16215 of 1996) reported 104 STC page 4 (SC) :**
- 6- **Commissioner of Sales Tax Vs. Elopice Paper Converter SLP (Civil No. 16087 of 1990) reported in 104 STC page 2 (SC)**
- 7- **Commissioner of Commercial Taxes, Jaipur Vs. Rajasthan Taxation Tribunal & Others reported in 38 Tax Up-Date page 131**
- 8- **Birla Jute & Industries Ltd. (supra) reported in 119 STC page 14**
- 9- **Pondicherry State Cooperative Consumer Federation Ltd. Vs. Union Territory of Pondicherry reported in 10 VST page 630(SC)**

कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा विशिष्ट रूप से कथन किया कि प्रदान की गयी छूट जिसका कि उपभोग कर लिया गया है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। अपीलार्थी का कथन है कि अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2003 तथा 15 अप्रैल, 2005 के द्वारा अपीलार्थी को कर से 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी धारा 14 आरएसटी एक्ट के अनुसार वर्णित कर से अधिक कर ग्राहकों से वसूल नहीं कर सकता था और न ही उसके द्वारा कोई कर अतिरिक्त रूप से वसूल किया गया है। अतः इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से करारोपण करने के कारण अपीलार्थी के साथ न्याय नहीं हुआ है। हालांकि धारा 15 आरएसटी एक्ट 1994 के अनुसार करमुक्ति भूतलक्षी भी प्रदान की जा सकती है परन्तु आरएसटी एक्ट के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से छूट वापस लेने संबंधी कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

14. अपीलार्थी कम्पनी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण द्वारा गुणावगुण पर कथन किया कि बी.आई.एफ.आर. (Board for Industrial and Financial Reconstruction) के आदेश दिनांक 22.5.2002 के द्वारा कम्पनी को 'सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनी (स्पेशल प्रोविजन) रूग्ण ईकाई घोषित किया गया है। बी.आई.एफ.आर. की बैठक दिनांक 18.01.2005 के द्वारा मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड की रूग्ण ईकाई पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें राजस्थान सरकार से 75 प्रतिशत बिक्री कर लाभ की अवधि को दिनांक 1.4.2005 से तीन साल के लिये बढ़ाये जाने की अनुशंसा की गई। S.I.C.A. एक्ट की धारा 19(2) में विहित समय सीमा में इस अनुशंसा पर कोई आपत्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर मुक्ति के लाभ की अवधि को दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया तथा अवांछित शर्त भी उसमें लगा दी गई। बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिनांक 24.05.2007 (पत्र दिनांक 31.5.2007) को दिये गये आदेश स्वीकृत योजना के क्रम में दिये गये थे। बी.आई.एफ.आर. के निर्देश S.I.C.A. एक्ट की धारा 19(3) सपठित धारा 18(9) के तहत राजस्थान सरकार पर अधिभावी (overriding) प्रभाव रखने का कथन किया। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 24.05.2007 (पत्र दिनांक 31.5.2007) के निर्देश के क्रम में दोनों अधिसूचनाएँ जो, अपीलार्थी की रूग्णावस्था की स्थिति में जारी की गयी थी, को संशोधित करने के निर्देश के तथ्य पर

✓

367

लगातार.....9

विचार नहीं किया गया। अग्रिम अभिवाक् किया कि कम्पनी की नेटवर्थ सकारात्मक परिवर्तित होने के कारण तथा संचित हानि समाप्त होने के आधार पर दिनांक 31.05.2007 को रूग्ण ईकाई के दायरे से मुक्त कर दिया। तथा बी.आई.एफ.आर. ने निर्देश दिये कि राज्य सरकार इकाई के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 व 28.7.2006 के सम्बन्ध में संशोधित अधिसूचना जारी करे। S.I.C.A. एक्ट के प्रावधान तथा बी.आई.एफ.आर. के निर्देशों का राज्य सरकार पर बाध्यकारी प्रभाव होना बताया गया। बी.आई.एफ.आर. के आदेश दिनांक 31.5.2007 के द्वारा अपीलार्थी कम्पनी के केस को बिनानी सीमेन्ट के केस से डी-लिंक (जोड़ा नहीं जाये) किया जाये। मैसर्स बिनानी सीमेन्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 19.2.2014 को अपीलार्थी कम्पनी के तथ्यों के संदर्भ में लागू नहीं होना बताया। अपीलार्थी कम्पनी को 75 प्रतिशत करमुक्ति की सीमा B.I.D.I. के दिनांक 07.05.2003 के क्रम में अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 के द्वारा दी गई थी। कथन किया कि बिनानी सीमेंट का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 27.5.1997 को प्रारम्भ हुआ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के अधीन एनेक्श्चर 'सी' के क्लॉज-4 में बिक्री कर मुक्ति राशि की उपलब्धता का प्रश्न निहित था। अपीलार्थी ईकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन 1994 में प्रारम्भ किया। अतः बिनानी प्रकरण में दिये गये निर्णय का प्रभाव उनकी इकाई पर लागू नहीं होता है।

15. कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा गुणावगुण पर विशिष्ट रूप से कथन किया कि माननीय बीआईएफआर के आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के मामले को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ के संबंध में डि-लिंक करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में बीआईएफआर की कार्यवाही की सारांश रिकॉर्ड के पैरा संख्या 9 (ii) के मूल पठन को प्रोद्धरित किया "To a query, he stated that the company M/s BCL is neither a sick company registered under BIFR, nor a group/associate company of the promoter(s) of the company M/s MCL. He, finally, requested the Board to issue a direction to the GOR to de-link the case regarding grant of reliefs to M/s BCL for granting the reliefs/exemptions to the company M/s MCL, so as to enable the company M/s MCL to arrive at a conclusion regarding the sales tax issues."

बीआईएफआर की कार्यवाही की सारांश रिकॉर्ड के पैरा संख्या 10 ¼½-----

" As the company M/s Mangalam cements Ltd. (MCL) ceases to be a 'sick industrial company,' within the meaning of section 3(i) (o) of the Act, the Bench hereby discharges the company M/s Mangalam cements Ltd. (MCL) from the purview of SICA and issues the following directions:-

(ii) "As the company **M/s Binani Cements Ltd. (BCL)** is neither a sick company registered in the BIFR, nor a group/associate company of the promoters of the



- 30/3

लगातार.....10

company M/s MCL, the GOR would de-link the case of M/s BCL for grant of the envisaged reliefs to the company M/s MCL and, accordingly, the GOR would issue a revised notification, in r/o their earlier notifications dt. 29.05.03 & 28.07.06 issued in this regard.”

कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में विशिष्ट रूप से **Raheja Universal Ltd Vs NRC Ltd & Ors, reported in (2012)4SCC148**, को प्रोद्धरित कर कथन किया कि “Provisions of SICA have an overriding effect and there is no automatic exit from the provisions of SICA”

16. कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में विशिष्ट रूप से माननीय बीआईएफआर के आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के मामले को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ के संबंध में डि-लिंक करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये थे, परन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त पर आदिनांक तक विचार नहीं किया गया है। कथन किया कि माननीय BIFR के निर्देश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। अपने उक्त कथन के संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित किया गया:—

1-M/s Karthik Papers Ltd.Vs Govt.of Tamil Nadu W.P. No 2868/2008 dated 27-11-2009(Madras)

2-Vippy Industries Vs State of MP W.P. No 6665/2012 dated 08-08-2012(M.P.)


3-Diamond Plastic Industries Vs Government of A.P & Anr, AIR1997SC2775 (SC)

1- **Kirloskar Oil Engines Ltd Vs Deputy Commissioner of Income Tax, 2012 (54) SOT201(Pune)**

कम्पनी के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उपर्युक्तानुसार उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों, तर्कों, तथ्यात्मक आधारों व प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

17. बहस में आगे कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत अपीलार्थी कम्पनी के केस में ब्याज उद्ग्रहणीय या देय नहीं है। इस सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी अधिसूचना दिनांक 29.5.2003, 15.4.2005 एवं 31.3.2006 के अनुसरण में कर भुगतान कर रही थी। अन्तर कर के आरोपण की अपीलीय अधिकारी द्वारा जो पुष्टि की गई है, वह बिनानी सीमेंट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद की गई है, अतः आदेश दिनांक 22.5.2014 के पश्चात ब्याज भुगतान देय होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मैसर्स जे.के.उद्योग लिमिटेड व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त 94 एस.टी.सी. 422 को प्रोद्धरित कर उक्त बिन्दु पर भी प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।





लगातार.....11

18. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक व प्रत्यर्थी सहायक आयुक्त विशेष वृत राजस्थान जयपुर ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.04.2005 की शर्त संख्या 7 में अभिव्यक्त रूप से लाभ के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि इस अधिसूचना का लाभ मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिनांक 18.01.2005 को कम्पनी के लिये पुनरुद्धार योजना जारी करते हुए की गई अनुशंसा के क्रम में लाभ की अवधि दिनांक 15.4.2005 के द्वारा दिनांक 4.4.2007 तक बढ़ाई गई है। बी.आई.एफ.आर. के आदेश दिनांक 31.5.2007 के क्रम में दिये गये निर्देशों के आलोक में, ईकाई रूग्ण नहीं होने के कारण S.I.C.A. एक्ट की धारा 3(1)(ओ) के तहत बी.आई.एफ.आर. के निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं।

अधिसूचना दिनांक 29.5.2003 की शर्त संख्या 6 व 7 निम्नानुसार है :-

- (6) that the benefits would be available to the company subject to the condition that the Neer Shree unit shall not be closed down before the expiry of period of benefits;
- (7) that the benefit under this notification shall be subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of M/s Binani Cement Ltd.; and

उक्त कथन व तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

19. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। विभिन्न माननीय न्यायालयों को निरंतर यह मत रहा है कि निर्णय से पूर्व उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा ऊपर उठायी गयी आपत्तियों पर विस्तृत रूप से विचार कर, अस्वीकार की गयी हैं। यह पीठ उचित समझती है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों पर विस्तृत विचार और विश्लेषण कर अस्वीकार की है। अतः इस पीठ के समक्ष उठायी गयी आपत्तियां अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये विश्लेषण को स्वीकार करते हुए अस्वीकार की जाती हैं।

20. जहां तक राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 15.04.2005 का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि बीआईएफआर द्वारा दिनांक 18.01.2005 को कंपनी के लिए एक पुनर्वास योजना जारी की गयी जिसमें राजस्थान सरकार से अन्य लाभों के अतिरिक्त निम्न लाभ देने की अनुशंसा की गयी:-

----- " To consider extending sales tax incentive @ 75% both in Rajasthan sales Tax (RST) and Central Sales Tax (CST) for a further period of 3 years effective from 1<sup>st</sup> April, 2005 to both the units of the Company. The overall benefits available to the company shall not exceed the eligible fixed

capital investment under the Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989 provided that the aforesaid eligible fixed capital investment shall be varied to such amount as may be determined by State Level Screening Committee (SLSC) and or as per the provisions of Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989.”

इकाई द्वारा दिनांक 18.02.2005 को BIFR के आदेश दिनांक 18.01.2005 के क्रम में कालावधि बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 20.04.2005 को BIDI की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:—

“BIDI accorded ex post facto approval to the notification issued by the Finance Department granting a further period of 2 years to the 75% exemption in RST and CST granted to the company earlier. The BIDI noted that the notification was dated 14.04.05 and applicable with prospective effect and directed the Finance Department to bridge the gap of 15 days, if necessary and legally possible”

उक्त के क्रम में अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (69) एफडी/ टैक्स-डिवीजन/ 2002-05 दिनांक 15.4.2005 में इकाई के लिये लाभ की अवधि दिनांक 04.04.2007 तक बढ़ाई गयी जो कि जारी मूल अधिसूचना दिनांक 29.05.2003 का ही एक अविभाज्य अंग है। अतः उक्त को पृथक् रूप से जारी होना नहीं माना जा सकता।

21. उल्लेखनीय है कि माननीय बीआईएफआर के आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के मामले को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ के संबंध में डि-लिंक करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये थे जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी थे। इस संबंध में बीआईएफआर की कार्यवाही पैरा संख्या 9 (ii) के मूल पठन इस प्रकार है:— “To a query, he stated that the company M/s BCL is neither a sick company registered under BIFR, nor a group/associate company of the promoter(s) of the company M/s MCL. He, finally, requested the Board to issue a direction to the GOR to de-link the case regarding grant of reliefs to M/s BCL for granting the reliefs/exemptions to the company M/s MCL, so as to enable the company M/s MCL to arrive at a conclusion regarding the sales tax issues.”

बीआईएफआर की कार्यवाही की सारांश रिकॉर्ड के पैरा संख्या 10 (i)-----  
-“ As the company M/s Mangalam cements Ltd. (MCL) ceases to be a 'sick industrial company,' within the meaning of section 3(i) (o) of the Act, the Bench hereby discharges the company M/s Mangalam cements Ltd. (MCL) from the purview of SICA and issues the following directions:-

(ii) “As the company M/s Binani Cements Ltd. (BCL) is neither a sick company registered in the BIFR, nor a group/associate company of the promoters of the

→

2877

company M/s MCL, the GOR would de-link the case of M/s BCL for grant of the envisaged reliefs to the company M/s MCL and, accordingly, the GOR would issue a revised notification, in r/o their earlier notifications dt. 29.05.03 & 28.07.06 issued in this regard.”

22. उक्त बिन्दु के संबंध में न्यायिक दृष्टांत Raheja Universal Ltd Vs NRC Ltd & Ors, reported in (2012)4SCC148, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत अवधारित किया है:- This Court has taken the view in Tata Motors Ltd. (MANU/SC/7737/2008 : (2008) 7 SCC 619) that the Act of 1985 has been enacted to secure the principles specified in Article 359 of the Constitution of India. It seeks to give effect to the larger public interest. It should be given primacy because of its higher public purpose. As the Act of 1985 is a special law and on the principle that a special law will prevail over a general law, it is permissible to contend that even if the provisions contained in Section 22(1) read with Section 32 of the Act, giving overriding effect vis-...-vis the other laws, other than the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 and the Urban Land Ceiling and Regulation Act, 1976 had not been there, the provisions of the general law like the Companies Act, for Regulation, incorporation, winding-up etc. of the companies would have still been overridden to the extent of inconsistency. We have already seen that this Court had, in the case of Jay Engineering (supra), taken the view that the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industries Undertaking Act, 1993 shall have to give way for enforcement of the provisions of the Act of 1985. In the case of Tata Davy (supra) also, the Court took the view that the State Sales Tax Act would have to be read and construed in comity to the provisions of the Act of 1985 which shall have the overriding effect. In the case of Tata Motors Ltd. v. Pharmaceuticals Product of India Ltd. (supra), this Court was concerned with the provisions of mismanagement and oppression contained in Sections 391 and 394 of the Companies Act and whether the Company Court will have the jurisdiction to pass orders in preference to the proceedings pending before the Court under the Act of 1985. The Court while holding the primacy of the Act of 1985 held as under:

SICA furthermore was enacted to secure the principles specified in Article 39 of the Constitution of India. It seeks to give effect to the larger public interest. It should be given primacy because of its higher public purpose. Section 26 of SICA bars the jurisdiction of the civil Courts.

**What scheme should be prepared by the operating agency for revival and rehabilitation of the sick industrial company is within the domain of BIFR. Section 26 not only covers orders passed under SICA but also any matter which BIFR is empowered to determine.**

23. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत Ghanshyam Sarda Vs M/s ShivShankar Trading Company and another में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत अवधारित किया है:-

H

367

लगातार.....14

Unlike cases where the existence of jurisdictional fact or facts, on the basis of which alone a Tribunal can invoke and exercise jurisdiction, is are doubted, stand on a different footing from the one where invocation and exercise of jurisdiction at the initial stage is not disputed but what is projected is that by subsequent or supervening circumstances the concerned Tribunal has lost jurisdiction. In the present case the fact that the company was registered as a sick company is not double nor has it been contended that the BIFR had wrongly assumed initial jurisdiction. But what is projected is that the net worth having become positive the BIFR has now lost jurisdiction over the company. In our view, the BIFR having correctly assumed jurisdiction and when all the financial affairs of such company were directly under the supervisory control of the BIFR, the power to decide whether it has since then lost the jurisdiction or not, is also in the exclusive domain of the BIFR. **The BIFR alone is empowered to determine whether net worth has become positive as a result of which it would cease to have such jurisdiction.** Any inquiry into such issue regarding net worth by anyone outside the Act including civil court, would be against the express intent of the Act and would lead to incongruous and undesired results. The suit as framed seeking declaration that the company was no longer a sick company within the meaning of the Act, was therefore not competent and maintainable. the civil court was not right and justified in issuing injunction as it did.

24. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **Shree Karthik Paper Ltd. Vs Government of Tamilnadu** माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत अवधारित किया है:-

In terms of Section 19(3) of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Government is bound to implement the direction of the BIFR without demur and it is binding on them. If they intend to demand the payment of sales tax for whatever reason, the department is entitled to approach the BIFR any modification if permissible or by way of an appeal as provided under the Act. The report of the Commissioner of Commercial Taxes Department cannot form the basis for the Government to set at naught the order of the BIFR, which has been passed after giving an opportunity to all the parties concerned and will therefore be binding on all concerned. In any event, the reasons given in the impugned proceeding cannot override of the BIFR and will be contrary to law and therefore unsustainable.

25. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **Kirloskar Oil Engines Ltd Vs Deputy Commissioner of Income Tax, Pune** माननीय पुणे उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत अवधारित किया है

"In view of the above, direction given by the BIFR is binding on the Assessing Officer. The Sick industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 is a Central Act having legal sanctity. **It has got overriding effect on any other provisions of any other Act except the provisions of FERA, 1973 and Urban Land (Ceiling & Regulation) Act,**

12

28

**1976. Therefore, the directions of the BIFR have to be honoured and failure of such directions will bring legal disharmony.** Further, we find merit in the submission of the learned counsel for the assessee that if the reliefs are denied now the department has to provide a solution to the assessee as how to undo the amalgamation. In this view of the matter and in view of the detailed order passed by the learned CIT(A) directing to grant relief as per BIFR order we find no infirmity in the same. Accordingly, the same is upheld and the ground raised by the revenue is dismissed."

26. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय बीआईएफआर के आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के मामले को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ के संबंध में डि-लिंक करने संबंधी जारी निर्देशों की पालना में राज्य सरकार के उद्दयोग विभाग द्वारा जरिये पत्रांक F.15(3)Udyog/1/2001 Dated 14/15.06.2015 के सचिव,-1, वित्त विभाग एवं सचिव, उर्जा विभाग, को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में उक्त पत्र निम्नानुसार है:-

To,

Secretary(I), Finance Department

Secretary, Energy Department

Subject: Implementation of the directions of Board for  
Industrial and Financial reconstruction in Case  
No.422/2000-M/s Manglam Cements Ltd.

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject kindly find enclosed herewith a copy of the summary record of the proceedings of the review hearing held on 24.05.2007. You are requested to get this matter examined and take further necessary action in compliance of the directions of BIFR.

Yours faithfully,

(Ashok Sampatram)

Principal Secy to Government

उक्त संदर्भित पत्र से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मंशा भी माननीय बीआईएफआर के निर्देशों की पालना कर, मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के प्रकरण को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ से डि-लिंक किये जाने की रही है।

27. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 की धारा 19(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि

12

- 387



बीआईएफआर द्वारा जारी वित्तीय सहायता के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाये एवम् इस संबंध में यदि किसी भी पक्षकार से किसी प्रकार सहमति/असहमति प्राप्त नहीं होती है तो स्वतः ही यह मान लिया जायेगा की पक्षकारों ने बीआईएफआर द्वारा लिये गये निर्णय/आदेश पर अपनी सहमति प्रदान कर दी गयी है। इस संबंध में उक्त धारा का मूल पठन इस प्रकार है:—

Section 19(2).-Every Scheme referred to in sub section(1) shall be circulated to every person required by the scheme to provide financial assistance for his consent within a period of sixty days from the date of such circulation [or within such further period, not exceeding sixty days, as may be allowed by the Board, and if no consent is received within such period or further period, it shall be deemed that consent has been given.


28. उक्त प्रावधानानुसार स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा भी बीआईएफआर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 24.05.2007 के क्रम में आदिनांक तक कोई निर्णय/कार्यवाही किया जाना रिकॉर्ड पत्रावली से प्रमाणित नहीं है जो उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के प्रावधानानुसार यह माना जाना उचित होगा कि राज्य सरकार को उक्त आदेश स्वीकार है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.05.2007 के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गयी प्रकट है। अतः राज्य सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 14/15.06.2007, तथा उपर प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के अनुसार स्पष्ट है कि माननीय बीआईएफआर के आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के मामले को अपीलार्थी को दिये जाने वाले लाभ से डि-लिंग करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये थे जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी थे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त बिन्दु पर आदिनांक तक विचार नहीं किया गया है एवम् उक्त आदिनांक तक राज्य सरकार के समक्ष, पत्रांक 14/15.06.2007 के अनुसार विचाराधीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार के इस संबंध में लिये गये निर्णय की जानकारी लिये बिना ही उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इनकी पुष्टि किया जाना उचित एवम् विधिसम्मत नहीं है। उनके द्वारा माननीय बीआईएफआर के निर्देशों की अपने स्तर पर ही अन्यथा व्याख्या कर, आदेश पारित किये गये हैं जबकि उपर्युक्त विवेचनानुसार माननीय बीआईएफआर के निर्देश दिनांक 24.05.2007 पर कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन प्रतीत होती है। अतः उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, हस्तगत प्रकरणों के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपीलें स्वीकार की जाती हैं। इस संबंध में




-382

उल्लेखनीय है कि माननीय बीआईएफआर के निर्देश दिनांक 24.05.2007 की पालना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है जिसमें मैसर्स बिनानी सीमेंट लि. के निर्णय के प्रभाव को डि-लिंग करने के अथवा अन्यथा, राज्य सरकार कोई अधिसूचना/निर्णय/आदेश इस संदर्भ में प्रसारित करती है तो निर्धारण अधिकारी नियमानुसार तदनुरूप कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

आदेश प्रसारित किया गया।

  
(मदन लाल) 20.11.2015  
सदस्य

  
( बी.के.मीणा )  
अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1516, 1517, 1518, 1519 एवं 1520 / 2014 / जयपुर

मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि.,  
30, श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त,  
राजस्थान-जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,  
श्री अनिल कुमार मण्डोत,  
सुश्री ईशु जैन।  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.11.2015

संशोधित निर्णय दिनांक : 03.12.2015

संशोधित आदेश

समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के क्रम में श्री एम.एल.पाटौदी अभिभाषक कम्पनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पारित निर्णय में अभिभाषक/टैक्स रिटेनर के पूरे नाम अंकित नहीं किये गये हैं, जो बहस के दौरान उपस्थित थे। अतः सभी अभिभाषक/टैक्स रिटेनर के नाम अंकित करते हुए निर्णय दिनांक 30.11.2015 को संशोधित करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वस्तुतः श्री अरविन्द बाहेती, टैक्स रिटेनर बहस के दौरान उपस्थित रहे थे, जिनका नाम उक्त निर्णय में अंकित नहीं है। उक्त लिपिकीय त्रुटि है, जिसको निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

उपस्थित : :


श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक कम्पनी  
श्री अरविन्द बाहेती, टैक्स रिटेनर  
श्री अनिल कुमार मण्डोत, वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष-कम्पनी  
सुश्री ईशु जैन, सी.ए.


.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

शेष आदेश पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 में वर्णित अनुसार यथावत रहेगा।  
आदेश जारी किया गया।

  
3.12.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
( बी.के.मीणा )  
अध्यक्ष